अल्पकालीन निविदा सूचना

आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु चुनाव से पूर्व पुलिस लाइन में ब्रीफिंग एवं चुनाव पोलिंग पार्टी स्थल तथा अर्द्धसैनिक/पीएसी/पुलिस बल के ठहरने के स्थान पर आवश्यक सामग्री हेतु आवश्यक सामग्री हेतु निविदा आमन्त्रित की जाती है। उक्त निविदा हेतु इच्छुक फर्म द्वारा दिनांक 13–02–2017 से 18–02–2017 तक प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक पुलिस कार्यालय देवरिया में रूपया 200.00 (रूपया दो सौ मात्र) की दर से फार्म प्राप्त किया जा सकते हैं तथा निविदा प्राप्तकर्ता द्वारा पुलिस कार्यालय में दिनांक 19–02–2017 को अपरान्ह तक क्षेत्राधिकारी लाइन्स के समक्ष डाली जायेगी तथा डाली गयी निविदा को ठेकेदार अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष उसी दिन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। निविदा हेतु उपरोक्त के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य हैः–

1– उपरोक्त निविदा फार्म के साथ रू0 10,000–00 (रूपया दस हजार मात्र) अर्नेस्ट मनी/अग्रिम जमानत के रूप में जमा करना होगा। जिस फर्म की निविदा स्वीकृत होगी। उसे रू0 50,000–00 (रूपया पचास हजार मात्र) जमानत के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। सिक्योरिटी की धनराशि बैंक ड्राफ्ट अथवा नगद जमा किया जा सकता हैं। अर्नेस्ट मनी के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

2– आमंत्रित निविदा में जिस फर्म की निविदा न्यूनतम होगी, उसे स्वीकृत किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी न्यूनतम निविदा स्वीकार करने अथवा किसी निविदा को अस्वीकार करने के कारण को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

3– निविदा बिना कारण बताओ नोटिस के अपरिहार्य परिस्थितियों में कभी भी निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित हैं। निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त सम्बन्धित फर्म को रू0 100–00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र भरना आवश्यक होगा। अनुबंध पत्र भरने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

4– निविदा फार्म भरने वाले फर्म को व्यापार कर, पंजीयन प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं आयकर जमा किये जाने का प्रमाण–पत्र निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5– सामग्रियों की ढुलाई अथवा मजदूरी के रूप में अलग से कोई व्यय देय नही होगा। किसी दैवीय आपदा अथवा किसी प्रकार से यदि कोई हानि होती है, तो उसे फर्म को स्वयं वहन करना होगा।

6– फर्म की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।

7– फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान अनुदान प्राप्त होने पर ही किया जायेगा। भुगतान के समय नियमानुसार आयकर आदि की कटौती की जायेगी।

8– फर्म द्वारा सामानों की घटिया आपूर्ति करने तथा क्वालिटी में कमी पाये जाने पर जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।

9– कार्यालय द्वारा किसी भी समय सामानों की मांग पर किसी भी प्रकार का विलम्ब स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10- यदि फर्म के पास सामान उपलब्ध नहीं है, तो उसका यह उत्तरदायित्व होगा कि वह टेण्डर दर पर अन्य फर्म से सामान प्राप्त कर उसकी सम्पूर्ति तत्काल करेगा।

सामानों का विवरण निम्नवत् है:-

(क) पुलिस बल की ब्रीफिंग, ड्यूटी भेजने हेतु पुलिस लाइन में व्यवस्था हेतु आवश्यक सामग्री का विवरण (समयावधि 02-03-2017 से 03-03-2017 तक)

क्र0 सं0	क्रय/किराये पर लिये जाने वाले सामानों का नाम	तादाद
1	अस्थाई मंच कम्पलीट मय डायस	01
2	शामियाना पण्डाल	60000 वर्गफीट
3	मैटिंग	55000 वर्गफीट
4	प्लास्टिक कुर्सी	4000
5	वीआईपी कुर्सी	300
6	दरी 18X24	30 अदद
7	पर्दा सामियाना पण्डाल के तीन तरफ से 15X18	100 अदद
8	मेज	90 अदद
९	चादर सफेद	90 अदद
10	सामियाना/पर्दा मय मैटिंग 18X24 ड्यूटी स्थान/एमटी स्थान	08 अदद
11	पानी की टंकी 500 लीटर	12 अदद
12	लाउड स्पीकर सेट कम्पलीट फिटिंग (पण्डाल/ड्यूटी कार्ड वितरण एवं वाहन खड़े होने के स्थान पर)	04 अदद
13	जनरेटर 05 के0वी0ए0	02 अदद
14	हैलोजन 500 वाट कम्पलीट फिटिंग	40 अदद
15	कार्डलेस माइक	08 अदद

(ख) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल/पी0ए0सी0 की आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक सामग्री का विवरण (समयावधि 01-03-2017 से 05-03-2017 तक)

क्र0 सं0	क्रय/किराये पर लिये जाने वाले सामानों का नाम	तादाद
1	जनरेटर 5 के0वी0ए0 मय ऑपरेटर, सीपीएमएफ/पीएसी के ठहरने के स्थानों पर	67
2	पानी की टंकी 1000 लीटर 86 कम्पनी हेतु प्रति कम्पनी 03	258
3	बल्ब मय होल्डर 86 कम्पनी, प्रति कम्पनी 14	1204
4	प्लग/स्विच बोर्ड मय प्रति कम्पनी 01	86
5	केबिल 10 मीटर/10 एमएम प्रति कम्पनी 50 मीटर	4300 मीटर
6	तार 40/76 प्रति कम्पनी 50 मीटर (50X86)	4300 मीटर
7	तार 3/20 प्रति कम्पनी 50 मीटर (50X86)	4300 मीटर
8	हैलोजन लाइट प्रति कम्पनी 02	172
9	दरी/तिरपाल 12X12 प्रति कम्पनी 10 अदद (10X86)	860
10	बिजली मिस्त्री सीपीएमएफ हेतु प्रति 02 कम्पनी पर 01	43
11	अस्थाई सफाई कर्मी प्रति ठहरने के स्थान पर 01	67
12	अस्थाई शौचालय	437

(ग) जनपद/बाहर से आने वाले ना0पु0/स0पु0/होमगार्ड के ठहरने हेतु कराये जाने वाली व्यवस्था (**समयावधि** 01–03–2017 **से** 05–03–2017 **तक**)

क0 सं0	क्रय/किराये पर लिये जाने वाले सामानों का नाम	तादाद
1	दरी/तिरपाल 12 X 12	1100
2	पानी की टंकी 500 लीटर 31 ठहरने के स्थान पर प्रति स्थान 04	124
3	बल्ब एवं होल्डर कम्पलीट फिटिंग 31 ठहरने के स्थान पर प्रति स्थान पर 14	434
4	प्लग/स्विच बोर्ड कम्पलीट फिटिंग 31 ठहरने के स्थान पर प्रति स्थान 01 अदद	31
5	हैलोजन कम्पलीट फिटिंग प्रति स्थान 02X31	62
6	जनरेटर 05 के0वी0ए0 मय ऑपरेटर 31 स्थानों पर	31 प्रतिदिन
7	बिजली मिस्त्री 31 स्थान पर	31 मिस्त्री
8	अस्थायी शौचालय	150

संख्या:व–109/2017
दिनांक: फरवरी 19 2017

पुलिस अधीक्षक
देवरिया।

प्रतिलिपि:– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर/बस्ती/देवीपाटन परिक्षेत्र, गोण्डा।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर/कुशीनगर/महराजगंज/संतकबीर नगर/बस्ती/गोण्डा/बहराईच/बलरामपुर/सिद्धार्थनगर/श्रावस्ती।
3. जिलाधिकारी देवरिया/गोरखपुर/कुशीनगर/महराजगंज/संतकबीरनगर/बस्ती/गोण्डा/बहराईच/बलरामपुर/सिद्धार्थनगर/श्रावस्ती।
4. सूचना निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि इस निविदा का प्रकाशन प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. अपर पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
6. श्री कृष्णा यादव, प्रभारी एन0आई0सी0 देवरिया।
7. समस्त क्षेत्राधिकारी, जनपद देवरिया।
8. क्षेत्राधिकारी लाइन्स, देवरिया को इस निर्देश के साथ कि दिनांक 19–02–2017 को टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
9. प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन्स देवरिया को इस निर्देश के साथ कि दिनांक 19–02–2017 को टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
10. समस्त थाना प्रभारी/निर्वाचन कार्यालय/प्रधान लिपिक/आंकिक।
11. मेसर्स मोहन टेन्ट हाउस, मालवीय रोड , देवरिया।
12. मेसर्स देवरिया टेन्ट हाउस, भीखमपुर रोड, देवरिया।
13. मेसर्स साहू टेन्ट हाउस, भीखमपुर रोड देवरिया।
14. मेसर्स खान टेन्ट हाउस, भीखमपुर रोड, देवरिया।
15. दफ्तरी को इस निर्देश के साथ कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।